उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्याः 1860-गोपन-06/पाकालि/25-05-सा०गो०/2020 **दिनांकः 10 सितम्बर, 2025**

कार्यालय ज्ञाप

1. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी वितरण निगमों व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में कार्यरत अभियंता/गैर- अभियंता अधिकारियों एवं अवर अभियंताओ की ई०आर०पी० पर ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में प्रतिवेदी द्वारा स्वांकन भरे जाने एवं प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन व गोपनीय अग्रसारण किये जाने हेतु आदेश संख्या-450/गोपन-05/सा०गो०/2020 दिनांक 27.03.2025 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं वितरण निगमों में कार्यरत अभियंता/गैर- अभियंता अधिकारियों एवं अवर अभियंताओ की ई०आर०पी० पर ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्याओ के प्रचलन/संचरण में प्रतिवेदी द्वारा ससमय वार्षिक गोपनीय आख्या न भरने पर अथवा प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों (यथा- प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, सह-समीक्षक अधिकारी (जहाँ लागू हो) एवं अन्तिम अधिकारी) द्वारा निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन न किये जाने पर, ई०आर०पी० पर वार्षिक गोपनीय आख्याओ में Auto Forward की व्यवस्था निम्नवत लागू की जाती हैं:-

(1) प्रतिवेदी का यह दायित्व होगा कि सम्बंधित वर्ष की ई०आर०पी० पर ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या स्वांकन प्रपत्र में अपने पदानुसार निर्धारित प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों के विवरण की पुष्टि कर लें, पदानुक्रम (Hierarchy) विवरण गलत होने पर उसका संशोधन कराये जाने के पश्चात् ही स्वमूल्यांकन (Self-Appraisal) निर्धारित समयावधि में अंकित करने के उपरांत Submit कर अपने प्रतिवेदक अधिकारी को अग्रसारित करेंगे, गलत पदानुक्रम (Hierarchy) को सही न कराये जाने के कारण गलत अग्रसारित हुई वार्षिक गोपनीय आख्याओ को निरस्त कर दिया जायेगा , जिसका उत्तरदायित्व कार्मिक का होगा | **यदि प्रतिवेदी द्वारा उक्त निर्धारित समयावधि में अपने स्वमूल्यांकन के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उस अवधि हेतु वह अपने स्वमूल्यांकन के अधिकार से वंचित हो जायेगा एवं उक्त ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या प्रपत्र** Auto Forward **होकर प्रतिवेदी के उस अवधि के प्रतिवेदक अधिकारी के पास स्वयमेव ई०आर०पी० पर अग्रसारित होकर ऑनलाइन पहुँच जायेगी।**

(2) प्रतिवेदक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि ई०आर०पी० पर प्राप्त प्रतिवेदी की सम्बंधित प्रतिवेदन अवधि की ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या में अपनी (Hierarchy) पुष्ट करने के उपरांत निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन अंकित कर Submit करेंगे, जिससे कि आख्या सम्बंधित समीक्षक अधिकारी को अगले स्तर पर अग्रसारित हो जायेगी। **यदि प्रतिवेदक अधिकारी उक्त निर्धारित समयावधि में अपने मूल्यांकन करने के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो उस अवधि हेतु वह अपने मूल्यांकन करने के अधिकार से वंचित हो जायेगा एवं उक्त ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या** Auto Forward **होकर प्रतिवेदी के उस अवधि के समीक्षक अधिकारी के पास स्वयमेव ई०आर०पी० पर अग्रसारित होकर ऑनलाइन पहुँच जायेगी।**

(3) समीक्षक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सम्बंधित प्रतिवेदन अवधि की ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या में अपनी (Hierarchy) पुष्ट करने के उपरांत निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन अंकित कर, Submit करेंगे, जिससे कि आख्या सम्बंधित सह-समीक्षक अधिकारी (जहाँ लागू हो) / अन्तिम अधिकारी को अगले स्तर पर अग्रसारित हो जायेगी। **यदि समीक्षक अधिकारी उक्त निर्धारित समयावधि में अपने मूल्यांकन करने के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो उस अवधि हेतु वह अपने मूल्यांकन करने के अधिकार से वंचित हो जायेगा एवं उक्त ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या** Auto Forward **होकर प्रतिवेदी के उस अवधि के सह-समीक्षक अधिकारी (जहाँ लागू हो) / अन्तिम अधिकारी के पास स्वयमेव ई0आर0पी0 पर अग्रसारित होकर ऑनलाइन पहुँच जायेगी।**

(4) सह-समीक्षक अधिकारी (जहाँ लागू हो) का यह दायित्व होगा कि सम्बंधित प्रतिवेदन अवधि की ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या में अपनी (Hierarchy) पुष्ट करने के उपरांत निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन अंकित कर Submit करेंगे, जिससे कि आख्या सम्बंधित अन्तिम अधिकारी को अगले स्तर पर अग्रसारित हो जायेगी। **यदि सह-समीक्षक अधिकारी उक्त निर्धारित समयावधि में अपने मूल्यांकन करने के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो उस अवधि हेतु वह अपने मूल्यांकन करने के अधिकार से वंचित हो जायेगा एवं उक्त ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या** Auto Forward **होकर प्रतिवेदी के उस अवधि के अन्तिम अधिकारी के पास स्वयमेव ई0आर0पी0 पर अग्रसारित होकर ऑनलाइन पहुँच जायेगी।**

(5) अन्तिम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सम्बंधित प्रतिवेदन अवधि की ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या में अपनी (Hierarchy) पुष्ट करने के उपरांत निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन अंकित कर Submit करेंगे, जिससे कि आख्या MASTER ACR ADMIN को अगले स्तर पर अग्रसारित हो जायेगी। **यदि अन्तिम अधिकारी उक्त निर्धारित समयावधि में अपने मूल्यांकन करने के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो उस अवधि हेतु वह अपने मूल्यांकन करने के अधिकार से वंचित हो जायेगा एवं उक्त ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या** Auto Forward **होकर** MASTER ACR ADMIN **के पास ई०आर०पी० पर अग्रसारित होकर ऑनलाइन पहुँच जायेगी।**

(6) जिन पदों हेतु वार्षिक गोपनीय आख्याओ में प्रविष्टिकर्ता अधिकारी अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि / प्रबंध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि / प्रबंध निदेशक, उ०प्र०पा०का०ट्रा०लि अथवा प्रबंध निदेशक, वितरण निगम निर्धारित हैं, वहाँ उनके उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से अन्यत्र स्थानांतरण की स्थिति में ऐसे अधिकारियों हेतु स्थानांतरण की तिथि से आगामी एक वर्ष तक ESS-FIORI प्रणाली पर वार्षिक गोपनीय आख्या में मूल्यांकन हेतु ACCESS उपलब्ध रहेगा।

(7) प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 की शेष लंबित वार्षिक गोपनीय आख्याओ में अद्यतन मूल्यांकन किये जाने हेतु कालक्रम निम्नवत निर्धारित किया जाता है :-

प्रतिवेदी द्वारा स्वांकन भरने हेतु	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन	समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन	सह- समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन*	अंतिम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन **
25 सितम्बर	15 अक्टूबर	15 नवम्बर	30 नवम्बर	31 दिसम्बर

*जिन पदों पर सह-समीक्षक अधिकारी की व्यवस्था नहीं है वहाँ अंतिम अधिकारी हेतु यह तिथि मानी जाएगी।

** जिन पदों पर सह-समीक्षक अधिकारी की व्यवस्था है वहाँ अंतिम अधिकारी हेतु यह तिथि मानी जाएगी।

प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 एवं अग्रेतर हेतु वार्षिक गोपनीय आख्याओ में मूल्यांकन किये जाने हेतु कालक्रम निम्नवत निर्धारित है :-

प्रतिवेदी द्वारा स्वांकन भरने हेतु	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन	समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन	सह- समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन*	अंतिम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन**
15 अप्रैल	15 मई	15 जून	**30** जून	**31** जुलाई

*जिन पदों पर सह-समीक्षक अधिकारी की व्यवस्था नहीं है वहाँ अंतिम अधिकारी हेतु यह तिथि मानी जाएगी।

** जिन पदों पर सह-समीक्षक अधिकारी की व्यवस्था है वहाँ अंतिम अधिकारी हेतु यह तिथि मानी जाएगी।

(8) **उपरोक्त निर्धारित समयावधि में ससमय मूल्यांकन न किये जाने पर उपरोक्तानुसार वार्षिक गोपनीय आख्यायें AUTO FORWARD हो जाएँगी ।**

(9) **जिन पदों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं में मूल्यांकन किये जाने हेतु प्रविष्टिकर्ता अधिकारी के रूप में स्वीकर्ता-अंतिम अधिकारी अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि / प्रबंध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि / प्रबंध निदेशक, उ०प्र०पा०का०ट्रा०लि होंगे वहाँ वे AUTO FORWARD की उक्त व्यवस्था से विमुक्त रहेंगे।**

(10) उपरोक्त Auto Forward व्यवस्था में प्रतिवेदी द्वारा ससमय स्वमूल्यांकन प्रस्तुत (Submit) न करने अथवा पदानुसार निर्धारित प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों द्वारा ससमय मूल्यांकन Submit न करने पर निम्न परिस्थितीयाँ उत्पन्न हो सकती हैं:-

(I) <u>एक स्तर पर Auto Forward</u> - तीनों स्तरों पर (प्रतिवेदक/ समीक्षक-सहसमीक्षक/अन्तिम अधिकारी) में से मात्र किसी एक स्तर पर मूल्यांकन हो एवं शेष दो स्तरों पर Auto Forward हो जायें।

(II) <u>दो स्तरों पर Auto Forward</u> - तीनों स्तरों पर (प्रतिवेदक/ समीक्षक-सहसमीक्षक/अन्तिम अधिकारी) में से किन्ही दो स्तरों पर मूल्यांकन हो एवं शेष एक स्तर पर Auto Forward हो जायें।

(III) <u>तीन स्तरों पर Auto Forward</u> - तीनों स्तरों पर (प्रतिवेदक/ समीक्षक-सहसमीक्षक/अन्तिम अधिकारी) में से किसी भी अधिकारी द्वारा मूल्यांकन न किये जाने पर तीनों स्तर से Auto Forward हो जायें।

(11) उपरोक्त वर्णित तीनों परिस्थितियों में कारपोरेशन के आदेश संख्या 874/का०वि०नी/रा०वि०प-29/93-8 का०वि०नी/93 दिनांक 06 जुलाई 1993 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ई०आर०पी० पर Auto Forward होकर कारपोरेशन में प्राप्त होने वाली वार्षिक गोपनीय आख्याओं हेतु निम्नवत व्यवस्था लागू रहेगी:-

- **किसी भी स्तर पर बिना प्रविष्टि अंकित हुए Auto Forward होने पर उक्त प्रविष्टि को ब्लैंक (Blank) माना जाएगा|**
- **ऐसी प्रविष्टियों का वर्गीकरण चयन समिति (DPC) द्वारा स्वयं किया जायेगा, जो उक्त प्रविष्टियों के पूर्व एवं पश्चात् की प्रविष्टियों को देखकर अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे ।**

(12) उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जायेगी।

10/9/25

(**डॉ आशीष कुमार गोयल**)
अध्यक्ष

संख्याः 1860-गोपन-06/पाकालि/25-05-सा0गो0/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(2) निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(3) निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर टॉंसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(4) निजी सचिव, निदेशक (का०प्र०एवं प्रशा०) / निदेशक (वाणिज्य) / निदेशक (वितरण) / निदेशक (पारेषण) / निदेशक (वित्त) / निदेशक (तकनीकी) / निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) / निदेशक (कार्य एवं परियोजना) / निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(5) निदेशक (आई०टी०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्यदायी संस्था मैसर्स एसेन्चर्स से उक्त व्यवस्था को ई०आर०पी० पर प्रतिपादित कराये जाने सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

(6) निजी सचिव, निदेशक (का०प्र०एवं प्रशा०), मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/ पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/ पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, मेरठ/ दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, आगरा/ केस्को, कानपुर।

(7) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० प्रांगण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(8) समस्त मुख्य अभियंता (स्तर 1/ स्तर 2), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०/ उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(9) समस्त अधीक्षण अभियंता/ अधिशाषी अभियंता/ सहायक अभियंता/ अवर अभियंता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(10) महाप्रबंधक (लेखा प्रशासन) /उप-महाप्रबंधक (लेखा-प्रशासन) /समस्त मुख्यलेखाधिकारी/ समस्त उप मुख्यलेखाधिकारी/ समस्त लेखाधिकारी/ समस्त सहायक लेखाधिकारीगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(11) महाप्रबंधक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(12) कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन/ शक्ति भवन विस्तार के समस्त अधिकारीगण/ अनुभाग/ शिविर।

(13) समस्त नामित Discom ACR Admin/ Transco ACR Admin/ Master ACR Admin को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(14) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को समस्त अधिकारियों को संज्ञानार्थ प्रेषित किये जाने हेतु उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

(रवि कुमार)
उपसचिव (गोपन)